न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1170 / 2021

अनवान : –

1. भादरराम पुत्र दुलाराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर।
2. कालूराम पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर

– वादीगण

बनाम्

1. गोपीराम पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी नुंवा तहसील भादरा।
2. चन्द्रोदेवी पत्नी मदनलाल जाति जाट साकिन कणाउ तहसील भादरां।
3. विनोद देवी पत्नी भूपसिंह जाति जाट साकिन कणाउ तहसील भादरा।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान राज्य जिला कलक्टर हनुमानगढ़।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा
188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– 1. श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादीगण**
2. श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 28/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर खाता संख्या 138 / 139 के खसरा नम्बर 102 / 1 की 0.8980 हैक्टर व खसरा नम्बर 392 / 1 की 2.6560 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 440 / 1 की 2.4590 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 84 की 4.6160 हैक्टेयर कुल तादादी 10.6290 हैक्टेयर वाके रौही मौजा गोरखाना तहसील नोहर वादीगण नम्बर 1 व 2 के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है, आराजी जरई खाता संख्या 55 / 56 खसरा नम्बर 485 की 2.4620 हैक्टेयर वाके रौही मौजा गोरखाना तहसील नोहर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 की खातेदारी भूमि है।

वादीगण की कृषि भुमि वाके रौही मौजा गोरखाना के खसरा नम्बर 440 / 1 की व सायलान नम्बर 1 ता 3 की रौही मौजा गोरखाना के खसरा नम्बर 485 की कृषि भूमि में गैर सायल नम्बर 4 व दावा के प्रतिवादी नंबर 4 [illegible] ने [illegible]खाना से लालखासर पक्की सडक निर्माण के लिए सन 1996 में राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम सन 1987 की धारा [illegible] के तहत अवाप्त कर सड़क का निर्माण कर दिया। सायलान की कृषि भूमि प्रतिवादीगण न[illegible] व प्रतिवादी नबर 6 द्वारा बनाई गई पक्की सडक के उतर दिशा में है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 की कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:06:00 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सडक के दक्षिण दिशा में प्रतिवादी स0 नम्बर 1 ता 3 अपनी कृषि भूमि जो सडक के दक्षिण में वादीगण की कृषि भूमि जो सडक के उत्तर में है जिसके वादीगण ने करीबन 50 वर्षों से जोत जोत कर समतल कर रखा है तथा उक्त कृषि भूमि के चारों तरफ सींव डोल कायम है तथा उक्त वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि की सीमा में जबरन अपना हक जताकर वादीगण नम्बर 1 ता 3 अवैध रूप से प्रवेश कर कब्जा करने पर उतारू है तथा काफी दफा यह विधि विरुद्ध कार्य कर चुके है परन्तु वादीगण ने उन्हे सफल नहीं होने दिया है। सन 1996 में राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1987 की धारा 9 के तहत अवाप्त कर सड़क का निर्माण कर दिया।

वादीगण ने अपनी कृषि भूमि काश्त कर जोत जोत कर अच्छी तरह से उपजाऊ बना रखी है तथा मौका पर चने की फसल भी काश्त कर रखी है जो अच्छी उगी हुई है जिसे देखकर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 का मन ललचा रहा है जो अवैध रूपसे वादीगण की कृषि भूमि की सीमा (हद) में प्रवेश कर जबरन कब्जा करना चाहते है अगर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 अपने उपरोक्त मकसद में कामयाब हो जाते है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होती है जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से सम्भव नही है तथा आयन्दा मुकदमेबाजी बढती है जिससे वादीगण, प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 4 व प्रतिवादीगण नंबर 4 व 6 से भी निवेदन किया कि आप द्वारा सन 1996 में गोरखाना से लाखासर के लिए सड़क निर्माण किया गया जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 3 की कृषि भूमि आवाप्त की गई ऐसा प्रतिवादीगण नंबर 4 व 6 ने माना है परन्तु प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 ने ऐसा मानने से इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 वादीगण की राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि के सीमा (हद) में प्रवेश कर अवैध कब्जा करने में सफल हो गये तो वादीगण को धोर असुविधा होगी। इसलिये प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 के खिलाफ इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्ध करवा पाने के अधिकारी एवं दावेदार है कि प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 सायलान की कृषि भूमि के खसरा नम्बर 440/1 की सीमा (हद) में प्रवेश कर कब्जा करने से निषिद्ध रहें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 ने जवाब दावा इस आशय का पेश किया की वादीगण व प्रतिवादीगण की कृषि भूमि के बीच में पक्की सड़क है एवं वादीगण व प्रतिवादीगण का ख0न0 भी अलग अलग है सींव व डोल को लेकर कोई वाद विवाद नही है। सड़क पूर्णतया चालु है। वादीगण द्वारा रंजिश पूर्वक यह वाद पेश किया गया है जो की खारिज योग्य है।

वादीगण व प्रतिवादगण ने अपने बया[illegible]बद्ध करवाये। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने बहस पर मनन कि[illegible] प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को अवलोकन किया ग[illegible]न है कि वादीगण ने अपनी कृषि भूमि काश्त कर जोत जोत कर अच्छी तरह से उपजाऊ [illegible]ा रखी है तथा मौका पर चने की फसल भी काश्त कर रखी है जो अच्छी उगी हुई है जिसे देखकर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 का मन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:06:00 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
बोहर

ललचा रहा है जो अवैध रूपसे वादीगण की कृषि भूमि की सीमा (हद) में प्रवेश कर जबरन कब्जा करना चाहते है अगर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 अपने उपरोक्त मकसद में कामयाब हो जाते है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होती है जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से सम्भव नही है तथा आयन्दा मुकदमेबाजी बढती है जिससे वादीगण, प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 4 व प्रतिवादीगण नंबर 4 व 6 से भी निवेदन किया कि आप द्वारा सन 1996 में गोरखाना से लाखासर के लिए सड़क निर्माण किया गया जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 3 की कृषि भूमि आवाप्त की गई ऐसा प्रतिवादीगण नंबर 4 व 6 ने माना है परन्तु प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 ने ऐसा मानने से इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 वादीगण की राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि के सीमा (हद) में प्रवेश कर अवैध कब्जा करने में सफल हो गये तो वादीगण को घोर असुविधा होगी। अत वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। वादीगण द्वारा नवीनतम जमाबंदी व नजरी नक्शा पेश किये गये है लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की सींव व डोल को मिस्मार किया जा रहा हो एवं वादीगण की भूमि पर काबिज होना चाहते हो अत वादीगण का वाद साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप वादीगण का वाद साबित नही होने से खारिज किया जाता है। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी कर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28/01/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:06:00 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 1170 / 2021
अनवान : –

1. भादरराम पुत्र दुलाराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर।
2. कालूराम पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर

– वादीगण

बनाम्

1. गोपीराम पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी नुंवा तहसील भादरा।
2. चन्द्रोदेवी पत्नी मदनलाल जाति जाट साकिन कणाउ तहसील भादरां।
3. विनोद देवी पत्नी भूपसिंह जाति जाट साकिन कणाउ तहसील भादरा।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान राज्य जिला कलक्टर हनुमानगढ़।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1170 सन 2021 निर्णय दिनांक 28/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री भरतसिंह बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक .....28/01/26... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:06:00 IST
Reason: SelfAttested